BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 जुलाई, 2024 **थाना कोतवाली नगर**

चांद खान की हत्या में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 21.06.2024 को वादी शरीफ खान निवासी ग्राम अख्तियारपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गयी थी कि उसके पुत्र चांद खान की पत्नी व पुत्री ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या करा दी गयी है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मुअसं 505/24 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमे गठित की गयी थी। जांच/छानबीन में तकनीकी साक्ष्यों व सर्विलांस की सहायता से 07 लोगों के नाम प्रकाश में आये थे। आज दिनांक 20.07.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध असलहा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- प्रमोद पुत्र विजेन्द्र निवासी भट्टा कालोनी पिलर सं0-107 के सामने थाना फेस-2 जनपद गौतमबुद्ध नगर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

2- घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा (यूपी-16-एमटी-7582)

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 505/24 धारा 302/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 555/24 धारा 109/117(5) बीएनएस व 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर
2. श्री रामनारायन सिंह निरीक्षक थाना कोतवाली नगर
3. उ0नि0 धीरज राठी
4. है0का0 कुलदीप राठी, है0का0 कपिल चौधरी, है0का0 अमिक कुमार, है0का0 मोहित कुमार।

मीडिया सेल बुलंदशहर